कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर

क्रमांक 1121/स्था./प्र.अ./लोस्वायांवि/2019 अटल नगर, दिनांक 14-02-19

सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1–18/2018/34–1 दिनांक 07.08.2018 एवं वित्त विभाग के जावक क्रमांक 597/ब–2, कम्प्यूटर क्रमांक–34–00683 दिनांक 20.07.2018 द्वारा सहायक मानचित्रकार एवं अनुरेखक के 14 पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु अनुमति प्राप्त है। इस परिप्रेक्ष्य में सीधी भर्ती से भरने के लिये योग्य उम्मीदवारों से दिनांक 19.02.2019 से ऑनलाईन आवेदन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, अटल नगर, रायपुर के वेबसाईट **cgvyapam.choice.gov.in** पर निम्नानुसार आमंत्रित किये जाते है :–

1. **परीक्षा की तिथि** :– **23 अप्रैल 2019 (मंगलवार)**
   परीक्षा का समय– सहायक मानचित्रकार :– अपरान्ह
   अनुरेखक :– पूर्वान्ह
2. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रांरभिक तिथि :– 19.02.2019 (मंगलवार)
3. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि :– 10.03.2019 (रविवार), रात्रि 11:59 बजे तक
4. परीक्षा शहर :– दुर्ग एवं रायपुर

सहायक मानचित्रकार

क्र.	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
01	सहायक मानचित्रकार	04	लेवल–6, वेतन 25300–80500	10+2 अथवा हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिकल/सिविल/ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से ड्राफ्ट्समेन ट्रेड का प्रमाण पत्र कम्प्यूटर का ज्ञान अनिवार्य है।

क्र.	संवर्ग	कुल पद	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	निःशक्तजन	रिमार्क
1	अनारक्षित	02	01	01	0	0	
2	अपिव	01	01	0	0	0	
3	अजा	0	0	0	0	0	
4	अजजा	01	01	0	0	0	
	कुल	**04**	**03**	**01**	**0**	**0**	

अनुरेखक

क्र.	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
01	अनुरेखक	10	लेवल–4, वेतन 19500–62000	10+2 अथवा हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण। आई.टी.आई. से ड्राफ्ट्समेन ट्रेड का प्रमाण पत्र अथवा राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से प्रारंभिक एवं माध्यमिक ड्राईंग परीक्षा उत्तीर्ण। कम्प्यूटर का ज्ञान अनिवार्य है।

क्र.	संवर्ग	कुल पद	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	निःशक्तजन	पद के लिये उपयुक्त निःशक्तता का प्रकार	रिमार्क
1	अनारक्षित	04	01	01	0	02 (01 पद चलन निःशक्तता) (01 पद बधिर और श्रवण शक्ति में हास)	ओएल, एचएच, बीएल	
2	अपिव	0	0	0	0			
3	अजा	03	02	01	0			
4	अजजा	03	02	01	0			
	कुल	**10**	**05**	**03**	**0**			

टीपः— 1. आयोजित परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान होगा।

2. ओएल=एक टांग, एचएच=श्रवण बाधित, बीएल=दोनो टांग।

उपरोक्त आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय डी.के.एस. भवन, रायपुर के ज्ञापन कमांक एफ 13–15/2012/आ.प्र./1/3 दिनांक 18.07.2012 में दिये गये निर्देशानुसार अजा वर्ग के लिये 12प्रतिशत, अजजा 32 प्रतिशत एवं अपिव 14 प्रतिशत रखा गया है। राज्य स्तरीय पदों पर की जाने वाली नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका कमांक रिट पिटी (सी) कमांक 593/2012 तथा रिट पिटी (सी) कमांक 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगी एवं माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय अनुसार विज्ञापित किये गये पदों की वर्गवार पदों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।

सामान्य शर्तेः–

1. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. दिनांक 01.01.2019 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहियें। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित आदेश का उम्मीद्वारों के लिये शासन के नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जावेगी। इसके लिये उन्हें प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा।
3. छत्तीसगढ़ शासन के स्थाई/अस्थाई/वर्कचार्ज या कन्टेन्जेन्सी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम् आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिये भी स्वीकार्य होगी।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग के उम्मीदवार को अपनी जाति संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर प्रस्तुत करेंगे।
5. निःशक्तता के आरक्षण के लिये पात्र होगे जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हो, आवेदक को सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. उक्त पदों पर चयन हेतु एक ऑनलाईन MCQ परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा आयोजित की जावेगी। ऑनलाईन MCQ परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर व्यापम द्वारा श्रेणीवार/वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जावेगी। इसी के आधार पर विभाग द्वारा दस्तावेज परीक्षण पश्चात् नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी।
7. सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
8. सीधी भर्ती के उल्लेखित पदों की संख्या घटाई/बढाई जा सकती है।
9. व्यापम द्वारा प्राप्त सूची 01 वर्ष के लिये वैध रहेगी।
10. सीधी भर्ती किये गये कर्मचारी का कार्य संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में एक माह का अग्रिम नोटिस देकर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
11. चयनित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. किसी भी आवेदन पत्र को मान्य/अमान्य करने संबंधी समस्त अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेंगे।
13. यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य के लिये है अतः चयनित उम्मीदवारों को रिक्तियों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले में पदस्थ किया जा सकेगा।
14. किसी भी विवाद की स्थिति में विभाग का निर्णय सर्वमान्य तथा बंधनकारी होगा।
15. चयनित उम्मीदवारों को पुलिस व्हेरीफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद में ही सेवा में लिया जावेगा।

सहपत्रः– उपरोक्तानुसार।

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, अटल नगर